27/1/26	पत्रावली पेश हुई। हवाला वादी अधिवक्ता लिखा जाता है। काउन्टर क्लेम डिक्री किया गया है। विक्रेता निर्णय प्रथम के निष्पादन जाकर आखिर पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नोकर में दर्ज होकर दाखिल [illegible] हो। संलग्न उनका जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

(13)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1 हरगोविन्द पुत्र भज्जू आयु 75 साल
2 लक्ष्मी पुत्री भज्जू आयु 60 साल
3 दुर्गी पत्नि पीरया आयु 70 साल(फौत हजफ)
4–अमरसिंह पुत्र पीरया आयु 45 साल
5–हेमराज पुत्र पीरया (फौत)
5/1– धर्मवीर पुत्र हेमराज
5/2– रचना पुत्री हेमराज
5/3–छोटी पुत्री हेमराज
5/4–सुरजो बेवा हेमराज
} सभी जाति माली निवासी खादी भण्डार के पीछे करौली तहसील व जिला करौली राज0

6–हुकम बाई पत्नि किशोर पुत्री पीरया आयु 45 साल निवासी पदेवा तहसील व जिला करौली राज0
7–किन्नी पत्नि जगमोहन पुत्री पीरया आयु 35 साल जाति माली निवासी गढ़ मांकरी तहसील मण्डरायल जिला करौली राज

8–गोपाल पुत्र प्रभु आयु 45 साल
9–मोहनचन्द पुत्र प्रभु आयु 40 साल
10–गिर्राज पुत्र प्रभु आयु 35 साल
11–रामदयाल पुत्र प्रभु आयु 32 साल
12–हल्की पत्नि प्रभु आयु 75 साल
} सभी जाति माली निवासी खादी भण्डार के पीछे करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1–कल्याणी पत्नि बाबू आयु 60 साल
2–शिवकुमार पुत्र बाबू आयु 40 साल
3–नरेश पुत्र बाबू आयु 35 साल
} सभी जाति माली निवासी खादी भण्डार के पीछे करौली तहसील व जिला करौली राज0
4–तहसीलदार तहसील करौली राज

–प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 43/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री हेमराज सैनी,** एडवोकेट मिनजानिव मुदई रूबरू **श्री विष्णु चंद बंसल,** एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 को वादग्रस्त आरारजी खसरा नम्बर 7119 रकवा 01 बीघा 15 बिस्वा ग्राम कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 10 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपने हक में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 4 प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल करे। वादीगण व मृतक छोटू पुत्र हेमराज जाति माली निवासी करौली का नाम खातेदारी से हटाये जानें के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, वय नही करे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 को भूमि से जबरन वेदखल नही करे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के कब्जे काश्त में व्यवधान नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ..27/1/26.......को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना आर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(14)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—43 / 14 तारीख रजु:—3.7.14

उनवान

1—हरगोविन्द पुत्र भज्जू आयु 75 साल
2—लक्ष्मी पुत्री भज्जू आयु 60 साल
3—दुर्गी पत्नि घीस्या आयु 70 साल(फौत—हजफ)
4—अमरसिंह पुत्र घीस्या आयु 45 साल
5—हेमराज पुत्र घीस्या (फौत)
5 / 1— धर्मवीर पुत्र हेमराज
5 / 2— रचना पुत्री हेमराज
5 / 3—छोटी पुत्री हेमराज
5 / 4—सुरजो वेवा हेमराज

} सभी जाति माली निवासी खादी भण्डार के पीछे करौली तहसील व जिला करौली राज0

6—हुकम वाई पत्नि किशोर पुत्री घीस्या आयु 45 साल निवासी पदेवा तहसील व जिला करौली राज0

7—किन्ती पत्नि जगमोहन पुत्री घीस्या आयु 35 साल जाति माली निवासी महूं भांकरी तहसील मण्डरायल जिला करौली राज

8—गोपाल पुत्र प्रभु आयु 45 साल
9—मोहनचन्द पुत्र प्रभु आयु 40 साल
10—गिर्राज पुत्र प्रभु आयु 35 साल
11—रामदयाल पुत्र प्रभु आयु 32 साल
12—हल्की पत्नि प्रभु आयु 75 साल

} सभी जाति माली निवासी खादी भण्डार के पीछे करौली तहसील व जिला करौली राज0

—वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1—कल्याणी पत्नि बाबू आयु 60 साल
2—शिवकुमार पुत्र बाबू आयु 40 साल
3—नरेश पुत्र बाबू आयु 35 साल

} सभी जाति माली निवासी खादी भण्डार के पीछे करौली तहसी[illegible] व जिला करौली राज0

4—तहसीलदार तहसील करौली राज

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

—प्रतिवादीगण

(13)

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक :– 27/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की आराजी ख.नं. 7119 पटवार हल्का नं0 10 बांके ग्राम करौली में स्थित है। जिसमें वादीगण रिकार्ड खातेदार हैं। तथा प्रभु व घीस्या मर चुके हैं। जिनके वारिसों की ओर से यह दावा पेश किया जा रहा है। जिसमें वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 19जनवरी 2011 को जबरन लठ्ठ के बल पर खुदाई करना प्रारम्भ कर दिया है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय मुखास्मत पैदा हुई है। वादीगण की आराजी ख.नं. 7119 रकबा 1बीघा 15 बिस्वा पर प्रतिवादीगण जबरन खुदाई करने को उतारू हो रहे हैं और ऐलानिया धमकी दी है कि खुदाई करके जबरन पाटोर डालेंगे तुम्हारी मर्जी हो जहां पुकारो हम लठ्ठ के बल पर खुदाई करेंगे और तुम्हारी काश्त की भूमि में जबरन पाटोर डालेंगे। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। वादीगण शांति प्रिय आदमी है। और प्रतिवादीगण लठैत ताकतवर झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं लठ्ठ के बल पर दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। तथा वादीगण ने कहा कि आप हमारी कब्जे काश्त की भूमि पर खुदाई ना करें तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और कहा कि हम जबरन खुदाई करके यहां पाटोर डालेंगे यदि पाटोर डाल दी तो वादीगण को भारी मानसिक आघात होगा। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. [illegible] ता 3 ने उपस्थि[illegible] जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर [illegible] अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादीगण [illegible] सम्वत 2010 से व उससे पूर्व से आज दिवस तक कब्जा नहीं रहा है [illegible] आराजी पर कब्जा काश्त सम्वत 2010 से 2013 से पूर्व से प्रतिवादीगण की पूर्वज हरवाई बेवा कजौड्या एवं प्रतिवादीगण के पितामह व ससुर रामहेत बल्द सुखचंद का कब्जा काश्त बतौर काश्तकार रहा है। जिसके इंद्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2013 में हरवाई एवं रामहेत पुत्र सुखचंद के हक में है। वादीगण आराजी के काश्तकार नहीं है। वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त सेटिलमेंट सम्वत 2015 से पूर्व से नहीं है। टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आया तब भी प्रभु व धीरया व भज्जू का कब्जा काश्त नहीं रहा है। गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। उक्त आराजी का साबिक नं0 5423 रहा है। इस आराजी से लगी हुई आराजी ख. नं0 7118 प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। वादग्रस्त भूमि की वादीगण ने अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की होना असत्य व निराधार दर्ज किया है। विधि अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार टीनेन्सी एक्ट के लागू होने के दिवस प्रतिवादीगण के पितामह रामहेत पुत्र सुखचंद रहे हैं। और रामहेत के बाद हम प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं है। एवं खसरा टीप भी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इस आशय का जिला कार्यालय भू–अभिलेख करौली द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। इस संबंध में गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 के इंद्राज विधिपूर्ण और प्रतिवादीगण आराजी के विधि अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। खातेदारी इंद्राज अवैध हैं बिला आधार हैं। ऐसे इंद्राज के आधार पर वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और वादीगण ने सम्वत 2010 से आज दिवस तक वादग्रस्त आराजी काश्त नहीं की है। 19जनवरी 2011 के दिवस प्रतिवादीगण द्वारा कोई खुदाई कार्य नहीं किया गया है। और वादीगण को कोई बिनाय मुखास्मत प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैदा नहीं होती है। वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण का कब्जा नहीं होने से कब्जा प्रतिवादीगण होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा यह दावा प्रस्तुत करने पर बिनाय काउन्टर क्लेम पैदा हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि में कोई खुदाई कार्य प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि में पाटोर पोश निर्माण प्रतिवादीगण के पिता व पति बाबू पुत्र रामहेत के जीवनकाल से हो रहा है। और बाबू के जीवनकाल से ही प्रतिवादीगण उक्त भवन पाटोरपोश को [illegible] रखने व कृषि उपज के रखने व रहने के प्रयोग में लेते चले आ रहे हैं। और प्रतिवादीगण बाबू के मरने के समय से इसी आराजी में बनी पाटोरपॉश [illegible] में रिहायश कर रहे हैं। और भूमि को काश्त कर रहे हैं। पाटोर बने 25 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। बाबू को मरे 19–20 वर्ष का अर्सा हो चुका है। पाटोर निर्माण बाबू द्वारा किया गया है। जो वादीगण की ज्ञान व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj I
Date: 2026.05.04 13:06:38 IS
Reason: SelfAttested

2/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जानकारी में है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने सही तथ्य छिपाये हैं। असत्य तथ्य दर्ज किये हैं। वादीगण शुद्धहस्त से न्यायालय में नहीं आये हैं। वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का उनके पितागण का आराजी वादग्रस्त पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण ने मनगढन्त तथ्य झूठा वादकारण बनाने को दर्ज किये हैं। प्रतिवादीगण सीधे सादे हैं गरीब स्थिति के हैं। वादीगण का परिवार बडा है लठैत हैं ताकतवर है। वादीगण झूठे दावे की आड में जबरन बेदखल करना चाहते हैं। जबकि सम्वत 2010 से 2013 से ही प्रतिवादीगण के पितामह रामहेत के हक में, हरवाई के हक में काश्तकारी इंद्राज हैं। पाटोर 20 वर्ष पूर्व से ही डली हुई है। जो बाबू द्वारा डाली गई है। दायरी दावे से पूर्व से पाटोर निर्माण मौजूद है। दायरी दावे के पूर्व से ही प्रतिवादीगण रिहायश काबिज हैं। और प्रतिवादीगण रिहायश करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने असत्य तथ्य निराधार दर्ज किये हैं। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के अपने हक में घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी हैं और वादीगण प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल आराजी से नहीं करें इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। काउन्टर क्लेम न्यायालय के सुनवाई योग्य है। अंत में दावा वादीगण खारिज किये जाने एवं काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाव प्रस्तुत नही करने पर जबाव काउन्टर क्लेम दिनांक 30.05.2013 को बन्द किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गये ।

1— आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 7119 वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द करने के अधिकारी है।

—वादीगण

2—आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 7119 कस्बा करौली प्रतिवादीगण के पुर्वज हरवाई वेवा कजोडया के समय की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादीगण जरिये काउण्टर क्लेम अपने हक में खातेदारी घोषणा करने के अधिकारी है।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.04 13:06:38
Reason: SelfAttested

3– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 7119 करवा करौली प्रतिवादीगण के पुर्वजो के समय की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादीगण वादीगण को पावन्द कराने के अधिकारी है।

–प्रतिवादीगण

4– अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दु वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्ल्यू. 1 हरगोविन्द के बयान लेखबद्ध कराये हैं एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 प्रदर्श–1 एवं नकल जमाबंदी सम्बत 2039 से 2042 प्रदर्श –2 एवं खसरा नम्बर 7118 की नकल जमाबदी सम्बत 2015 प्रदर्श –3 एवं नामान्तकरण खसरा नम्बर 7118 प्रदर्श –4 एवं नकल सटिलमेन्ट खतौनी सम्बत 2015 खसरा नम्बर 7119 प्रदर्श –5 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बन्द की गई।

प्रतिवादीगण साक्ष्य ली गई। प्रतिवादीगण अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी नरेश DW-1 एवं गवाह निरंजन DW-2 रामस्वरूप DW-3 बृजमोहन माली DW-4 एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 प्रदर्श–ए 1 एवं प्रतिलिपि फार्म की नकल प्रदर्श–ए 2 एवं नल व विद्युत बिल प्रदर्श ए 3 लगायत ए 11 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए 12 पेश किये एवं अपने पिता बाबूलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति एवं खसरा नं0 7118 की जमाबन्दी सम्वत 2068से 2071 खाता संख्या 573 कस्बा करौली पेश की है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बन्द की गई।

वादीगण द्वारा रिबटल साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य रिबटल बन्द की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई । वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादग्रस्त भूमि ख0नं 7119 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पटवार हल्का नं0 10 तहसील करौली में स्थित है। जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रभु व घीस्या की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान इस दस्तावेज है। वादीगण द्वारा यह दावा पेश किया है। भूमि को वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.01.2011 को जबरन लठ्ठ के बल पर भूमि में खुदाई करना प्रारम्भ कर दिया तब वादीगण को वादकारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी में जबरन खुदाई करने को उतारू हैं और ऐलानिया धमकी दी है। कि जबरन खुदाई करके भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:38 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पाटोर डालेंगे। यदि पाटोर डाल दी गई तो वादीगण को भारी मानसिक आघात होगा।इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे और दावा वादी डिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नहीं है। वादीगण का आराजी पर सम्वत 2010 से पूर्व से आज दिवस तक किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त सम्वत 2010 से 2013 से पूर्व से प्रतिवादीगण की पूर्वज हरवाई बेवा कजौड्या एवं प्रतिवादीगण के पितामह व ससुर रामहेत पुत्र सुखचंद व पिता व पति बाबू पुत्र रामहेत एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार है। जिसके इंद्राज खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से2013 प्रदर्श –ए1 में हरवाई एवं रामहेत पुत्र सुखचंद के हक में है। वादीगण का सम्वत 2010 से 2013 में एवं सेटिलमेंट सम्वत 2015 से पूर्व किसी प्रकार का कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिवस भी वादीगण के पितागण प्रभु व घीस्या व पितामह भज्जू का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा काश्त होने के संबंध में खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए1 एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2015 प्रदर्श ए12 पत्रावली में पेश किये हैं। वादग्रस्त आराजी का साबिक खसरा नं. 5423 रहा है। इस आराजी से लगी हुई आराजी ख0नं0 7118 हरवाई व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। ख0नं0 7118 का साबिक ख.न. 5423 रहा है। प्रतिवादीगण भूमि के कानूनन खातेदार काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के दिवस प्रतिवादीगण के पितामह रामहेत पुत्र सुखचंद व हरवाई बेवा कजौड्या रहे हैं। और हरवाई व रामहेत के स्वर्गवास होने पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 व खसरा टीप राजस्व रिकार्ड रूम भू–अभिलेख करौली में उपलब्ध नहीं है। इस कारण खसरा गिरादावरी 2010से 2013 के इंद्राज जो प्रतिवादीगण के पूर्वज हरवाई बेवा कजौड्‌ प्रतिवादीगण के पितामह व ससुर सुखचंद के हक ... विधिपूर्ण हैं। और प्रतिवादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। ... पितामह व पितागण भज्जू, प्रभु व घीस्या एवं प्रतिवादीगण के हक में हु खातेदारी इंद्राज अवैध हैं बिला आधार हैं। जिनसे वादीगण को भूमि में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण ने सम्वत 2015से पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी एवं खसरा टीप पत्रावली में पेश नहीं किये हैं ना ही कोई विक्रय पत्र दान पत्र या वसीयत पत्र हरवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:38
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बेवा कजौड्या एवं रामहेत पुत्र सुखचंद से भूमि खरीद के बाबत पेश नहीं किया है। एवं भूमि सेटिलमेंट 2015 में वादीगण के पितामह व पितागण के नाम किस आधार पर दर्ज हुई यह भी उदगम का कोई आधार पेश नहीं किया है। जमाबन्दी इंद्राज मात्र वित्तीय उद्देश्य के लिए होते हैं। जिनसे वादीगण को कोई हक वादग्रस्त भूमि में प्राप्त नहीं होते है। प्रतिवादीगण की पाटोर प्रतिवादीगण के पिता बाबू के समय की दायरी दावा से 20वर्ष पूर्व की बनी हुई है। जिसमें प्रतिवादीगण पिता व पितामह एवं मृतक हरवाई के जीवनकाल से रिहायश कर भूमि को काश्त कर काबिज चले आ रहे हैं। दिनांक 19.01.2011 को नींव खुदाई की हो या निर्माण किया हो ऐसा कोई साक्ष्य वादीगण ने पत्रावली में पेश नहीं किया है। सेटिलमेंट विभाग व सेटिलमेंट कर्मियों को सेटिलमेंट पूर्व के राजस्व रिकार्ड इंद्राज को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बदलने का विधिक अधिकार नहीं है। बल्कि सेटिलमेंट विभाग व सेटिलमेंट कर्मियों को सेटिलमेंट से पूर्व दर्ज राजस्व रिकार्ड इंद्राज को रिपीट (पुनरावृति) करने का कर्तव्य व दायित्व होता है। वादीगण का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। दावा वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार हैं और काबिज हैं। काउन्टर क्लेम के जरिये प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त की खातेदारी घोषणा अपने हक में कराने के हकदार हैं। और वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के भी हकदार है। दावा वादी खारिज किया जावे। एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 ता 3 डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजो एवं साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण का विवेचन किया गया प्रकरण का तनकी वार विवेचन किया जाना उचित है तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है :–

विवाधक संख्या 01 को सावित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने इस सम्बन्ध में नकल जमावदी सम्वत 2064 सक 67 प्रदर्श –1 एवं नकल जमावंदी सम्ब्त 2015 प्रदर्श 5 पेश की है जिसमें भूमि वादीगण व उनके पूर्वज भज्जू के खातेदारी में दर्ज है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी pw-1 हदगोविन्द ने भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया है जिसके खडन में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता. 3 द्वारा खसरा गिरदारी सम्वत 2010 से 2013 प्रदर्श A-1 पेश की है जिसमें कृषक खातेदार के रूप में हरवाई वेवा कजौडया एवं रामहेत पुत्र सुखचन्द प्रतिवादीगण की पितामह

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:38 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दादी एवं पितामह के हक में इन्द्राज है और मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी नरेश DW1 एवं गवाह DW2 निरंजन रामस्वरूप DW3 बृजमोहन ने हरवाई वेवा कजोडया को प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 की दादी होना व रामहेत पुत्र सुखचन्द को प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 का पितामह होना एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के पिता बाबू पुत्र रामहेत व पूर्वजो के समय की वादग्रस्त भूमि में पाटौर पोश भवन कृषि उपयोग का बना होना और उसमें रिहायश करना विद्युत सम्बन्ध व नल सम्बन्ध स्थापित होना एवं भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता.3 का कब्जा काश्त होना अपने वयानों मे बताया है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 ने नकल प्रतिलिपि फार्म प्रदर्श A-2 पेश की है जिसमें रिकॉर्ड रूम (भू0अ0) कलेक्ट्रेट करौली में जमाबदी सम्बत 2010 से 2013 व खसरा टीप उपलग्ब्ध नही होना पुश्त पर अंकित किया है एवं नल व विद्युत बिल प्रदर्श A-3 लगायात A-11 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श A-12 पेश किया है जिसमें भूमि संटिलमेन्ट सम्बत 2015 से पूर्व प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 की पूर्वज हरवाई वेवा कजोडया एवं रामहेत पुत्र सुखचन्द के कब्जे काश्त में सम्बत 2010 से रही होना सावित होता है। वादी PW1 हरगोविन्द ने अपनी साक्ष्य जिरह में हरवाई से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही होना एवं भूमि को हरवाई व रामहेत या किसी अन्य व्यक्ति से खरीद नही करना एवं रामहेत पुत्र सुखचन्द का प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 का पितामह व ससुर होना स्वीकार किया है। एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के पिता व पति बाबू के पिता का नाम रामहेत होना स्वीकार किया है। एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7119 व 7118 का साविक खसरा नम्बर 5423 होना मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श A-12 से सावित होता है एवं पाटौर 2–3 गह वनी होना वादी हरगोविन्द ने स्वीकार किया है और पाटौर में कितने चौका है मुझे पता नही है यह साक्ष्य जिरह में दी है। एवं हरवाई के पति का क्या नाम है मुझे पता नही है खसरा नम्बर 7106, 7174,7115,7116, वादीगण की खातेदारी की हो ते मुझे पता नही है। यह वयान दिया है। इस प्रकार उभय पक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि हरवाई वेवा कजोडया से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही है एवं हरवाई पति कजौडया एवं रामहेत का पिता सुखचन्द दोनो भाई थे यह तथ्य PW4 बृजमाहेन ने वादीगण द्वारा जिरह करने पर दी है। जिससे भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 की पुश्तैनी खातेदारी की होना सावित होता है। एवं संटिलमेन्ट (बन्दोवस्त) सम्बत 2015 में वादीगण के पितामह भज्जू पुत्र मुरली के हक में इन्द्राज बिला आधार दर्ज होना प्रकट होता है। भू0 प्रबन्ध विभाग

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:38 IS
Reason: SelfAttested

को भू. प्रंबन्ध से पूर्व के खातेदारी राजस्व इन्द्राज को दौराने भू0 प्रबन्ध बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बदलने का हक नही है एवं भू. प्रबन्ध पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहे खातेदारी राजस्व इन्द्राज की पुनरावृति करने का दायित्व है वादीगण अपनी साक्ष्य से यह सावित करने में असफल रहे है कि भूमि सम्बत 2015 वक्त संटिलमेंट में उन्हे किस आधार पर प्राप्त हुई है और वादीगण ने भूमि प्राप्त होने का कोई उदगम का आधार एवं राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में पेश नही किया है। एवं वादीगण ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी पेश नही की है। एवं सम्बत् 2015 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड जमांबदी एवं खसरा गिरदावरी पेश नही की है वादीगण इस विवाधक को सावित करने में असफल रहे है अतः विवाधक संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी सम्बत 2010 से 2013 प्रदर्श A1 पेश की है जिसमे कृषक के कॉलम में खातेदारी इन्दाज व कृषक इन्द्राज हरवाई वेवां कजौडया के नाम दर्ज है एवं हरवाई के साथ सम्बत 2011 में रामहेत पुत्र सुखचन्द पितामह व ससुर प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के नाम मार्क A से B में दर्ज है मौखिक [illegible] में प्रतिवादी नम्बर 3 नरेश DW1 एवं गवाह निरंजन DW2 [illegible] DW3 एवं बृजमोहन DW4 के सशपथ व्यान कराये है। किता वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7119 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा को प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 की दादी हरवाई वेवा कजौडया एवं पितामह व ससुर रामहेत पुत्र सुखचन्द के समय की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना कथन किया है एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 पिता व पति बाबू पुत्र रामहेत व पूर्वजो के समय की वादग्रस्त भूमि में पाटौर पोश मकान बना होना एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के पिता व पति बाबू एवं हरवाई तथा रामहेत के समय से रिहायश करना एवं पाटौर पोश में नल व विद्युत सम्बन्ध लगे होना भूमि पर पूर्वज हरवाई एवं रामहेत के समय से कब्जा काश्त प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 बताया है। जिसके समर्थन में प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 द्वारा नल व विद्युत बिल प्रदर्श A3 लगायत A11 पत्रावली में पेश किये है एवं खसरा नम्बर 7119 वादग्रस्त भूमि का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श A12 पेश किया है। जिससे वर्तमान खसरा नम्बर 7119 का साविक खसरा नम्बर 5423 होना सावित है एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 द्वारा नकल प्रतिलिपि फार्म प्रदर्श A2 प्रस्तुत किया है। जिसमें जमाबदी सम्बत 2010 से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

2013 रिकॉर्ड रूम (भू. अ.) करौली में उपलब्ध नही होना प्रकट होता है। स्वयं वादी हरगोविन्द PW1 ने जिरह में हरवाई से कोई सम्बन्ध नही होना भूमि किसी से खरीद नही करना एवं भूमि में 2–3 गह पाटौर पोश मकान बना होना एवं हरवाई के पति का नाम पता नही होना स्वीकार किया है। जिससे वादीगण का हरवाई के वारिसान नही होना सावित होता है जिसके खण्डन में वादीगण ने सम्बत 2015 से पूर्व का वादग्रस्त भूमि का अपने पितामह भज्जू पुत्र मुरली माली के खातेदारी की होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व खसरा गिरदावरी पत्रावली में पेश नही की है। और भूमि वादीगण के पितामह भज्जू के नामं संटिलमेन्ट सम्बत 2015 में किस आधार पर खातेदारी में दर्ज हुई है इसंका कोई विक्रयपत्र या अन्य कोई हस्तान्तरण दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 ने काउण्टर क्लेम में कथन किया है कि वक्त संटिलमेन्ट सम्बत 2015 में वादीगण के पितामह भज्जू व उसके मरने के वाद वादीगण के हक में बिला आधार अवैध खातेदारी इन्द्राज हुये है। भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के पूर्वज हरवाई व रामहेत के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है यह तथ्य प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी सम्बत 2010से 2013 प्रदर्श A1 से सावित होता है। एवं भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता.3 का कब्जा काश्त होना साक्ष्य प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 से सावित होता है। भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की होना प्रतिवादीगण ने सावित किया है। अतः विवाधक संख्या 02 प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के पक्ष में वादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक संख्या 03 को सावित करने का भार भी प्रतिवादी नम्बर 1 ता.3 पर है। जिसके सम्बन्ध प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 द्वारा नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2010 से 2013 प्रदर्श A1 प्रस्तुत की है जिसमे प्रतिवादी नम्बर 1ता. 3 की पूर्वज दादी हरवाई एवं पितामह व ससुर रामहेत पुत्र सुखचन्द के हक में वतौर कृषक खातेदार के इन्द्राज है। एवं [illegible] सम्बन्ध में वादगस्त भूमि में पाटौर पोश मकानीयत में स्थापित नल व विद्युत कंनेक्शन के बिल प्रदर्श A3 लगायत A11 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2015 प्रदर्श A12 प्रस्तुत किये है एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी नम्बर 3 नरेश DW1 एव गवाहान निरंजन DW2, रामस्वरूप DW3 , बृजमोहन DW4 ने सशपथ मौखिक साक्ष्य दी है कि भूमि वादग्रस्त खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.04 13:06:38
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नम्बर 7119 साविक खसरा नम्बर 5423 कस्बा करौली पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 का कब्जा काश्त सम्वत 2010 से आज दिवस तक पूर्वज हरवाई व पितामह व ससुर रामहेत के समय से चला आ रहा है जिसका कोई खण्डन वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से एवं स्वतत्र साक्ष्य से नही किया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का सम्वत 2015 से पूर्व वादीगण की खातेदारी की होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेज पेश नही किये है। एवं कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नही की है जिससे भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की सावित है। अत: विवाधक संख्या 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरुद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक संख्या 04 अनुतोष है विवाधक संख्या 1 ता. 3 के विवेचन व निष्कर्ष से एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेज नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2010से 2013 प्रदर्श A1 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2015 प्रदर्श A 12 से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की पूर्वज हरवाई वेवा कजौडया एवं पितामह व ससुर रामहेत पुत्र सुखचन्द जाति माली निवासी करौली के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की होना एवं वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 7119 का साविक खसरा नम्बर 5423 होना एवं दौराने सेंटिलमेन्ट(भू. प्रंबन्ध) सम्बत 2015 में वादीगण के पितामह भज्जू पुत्र मुरली जाति माली के हक में बिला आधार इन्द्राज जमाबदी सम्बत 2015 में दर्ज होना भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1ता 3 का कब्जा काश्त होना एवं पाटौर पोश मकान भूमि में बना होना उसमें नल व विद्युत कंनेक्शन प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के नाम होना नल व विद्युत बिल प्रदर्श A3 लगायत A11 से प्रकट होता है। एवं वादी हरगोविन्द PW1 की साक्ष्य से हरवाई व रामहेत का प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के पूर्वज दादी एवं पितामह व ससुर होना हरवाई व रामहेत से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही होना भूमि वादीगण के पिमामह भज्जू व वादीगण के पितामह एवं ससुर द्वारा किसी भी व्यक्ति से खरीद नही करना सिद्ध होता है। सेटिल विभाग व सेटिलमेन्ट कर्मियों को विना सक्षम न्यायालय के आदेश दौराने सेटिलमेन्ट (भू0 प्रंबन्ध) के समय सेटिलमेन्ट से पूर्व के खातेदारी राजस्व इन्द्राज को बदलने का हक व अधिकार नही होना एवं सेटिलमेन्ट से पूर्व के खातेदारी इन्द्राज को रिपीट (पुनारावृति) करने का दायित्व होना प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 द्वारा प्रस्तुत नजीर R.B.J. 2001(1) पेज 244 एवं R.B.J.(10) 2003 पेज 340 से स्पष्ट है एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.04 13:06:38
Reason: SelfAttested

(25)

प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का वादीगण द्वारा कोई जवाव प्रस्तुत नही किया है जिससे काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 में दर्ज तथ्यो की मोन स्वीकृति वादीगण होना प्रकट होता है प्रतिवादी नम्बर 1 ता3 वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा अपने हक में कराने के हकदार है। और वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण भूमि को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की सावित करने में असफल रहे है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 ड्रिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 ड्रिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 को वादग्रस्त आरारजी खसरा नम्बर 7119 रकवा 01 वीघा 15 विस्वा ग्राम कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 10 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपने हक में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 4 प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल करे। वादीगण व मृतक छोटू पुत्र हेमराज जाति माली निवासी करौली का नाम खातेदारी से हटाये जानें के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण को स्थाई निषधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, वय नही करे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 को भूमि से जबरन वेदखल नही करे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता. 3 के कब्जे काश्त में व्यवधान नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा ड्रिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/1/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested